

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

संख्या :- 106/2022 ज० प०

शुभम पि० बालू देवी नि० शुभाचलुषा-बस्ठू करेडा  
प्रार्थी.....

बनाम

राइ लाल श० बालू लाल रकबी नि० जिन्दावाडा जमिन- काठ  
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 28/3/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत  
द्वारा दन किया कि ग्राम ~~शुभाचलुषा~~ पटवार हल्का ~~शुभाचलुषा~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त  
खाता संख्या 36 आराजी नम्बर 383/134  
1.0749

कुल किता 1 रकबा 1.0749

भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने  
दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की  
पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28/3/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी  
का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी  
अदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते  
परिगिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 सैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....  
~~शुभाचलुषा~~ पटवार हल्का ~~शुभाचलुषा~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या  
आराजी नम्बर 383/134  
1.0749

कुल किता 1 रकबा 1.0749

कटेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-  
ख निरीक्षक ~~शुभाचलुषा~~ को 6000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया  
है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की  
गी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर  
गढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
करेडा जिला भीलवाडा

नोट :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
करेडा जिला भीलवाडा